खंड 7 संख्या 23

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग-1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

बृहस्पतिवार, तिथि 29 जुलाई 1982 ई०

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—गत सत्र के अनागत अल्पसूचित एवं अतारांकित प्रश्नोत्तरों का सभा-पटल पर रखा जाना।	1
एल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या 96, 98, 99 एवं 102 ..	2—9
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919 एवं 2920	9—30
रिशिष्ट 1 (प्रश्नों के लिखित उत्तर)	31—62
रिशिष्ट-2 (प्रश्नों के लिखित उत्तर)	63—235
निक निबन्ध	236

टिप्पणी—किन्हीं मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है।

112 एल०ए०—1

प्रभारी मंत्री, सिंचाई विभाग—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(3) तकनीकी दृष्टि से जिन स्थानों पर स्लुईस गेटों के निर्माण का औचित्य पाया जाता है उन स्थानों पर स्लुईस गेट का निर्माण करवाने की व्यवस्था की जा रही है।

बरारी में मुख्यालय न रखने का औचित्य

त-11. श्री मो० मुश्ताक—क्या मंत्री, सिंचाई विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कोढ़ा अवर प्रमण्डल कार्यालय को बेगुसराय, मझौल जल निस्सरण कार्य हेतु सिंचाई विभाग को अधिसूचना संख्या-1979 द्वारा स्थानान्तरित किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि दो वर्षों के बाद पुनः राज्य सरकार की अधिसूचनानुसार उक्त अवर प्रमण्डल को कोढ़ा में पुनः पदस्थापन किया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त अवर प्रमण्डल के अधीन बरारी प्रशाखा कार्यरत है एवं कर्मचारियों के हेतु आवास का प्रबन्ध है पर सरकारी कर्मचारी कोढ़ा में निवास नहीं करते हैं ;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो बरारी प्रशाखा के कर्मचारी एवं कनीय अभियन्ता द्वारा बरारी में अपना मुख्यालय नहीं रखने का क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री, सिंचाई विभाग—(1) सिंचाई विभाग के अधिसूचना संख्या 1979 द्वारा नहीं बल्कि अधिसूचना संख्या 3534, दिनांक 22 नवम्बर, 1978 द्वारा कोढ़ा अवर प्रमण्डल को बेगुसराय, मझौल जल निस्सरण कार्य हेतु स्थानान्तरित किया गया था।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(3) एवं (4) उत्तर अंशतः स्वीकारात्मक है प्रशाखा पदाधिकारी को छोड़कर शेष सभी कर्मचारी बरारी में रहते हैं। आवास के अभाव के कारण प्रशाखा पदाधिकारी कोढ़ा में रहते हैं। आवास उपलब्ध होते ही वे बरारी चले जायेंगे।

पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई

त-12. मो० मुस्ताक—क्या मंत्री, सिंचाई विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत बाढ़ नियन्त्रण प्रमण्डल, काढ़ागोला के भवन तथा कोलनी के निर्माण हेतु भूमि अर्जन 1978-79 में किया गया है ;